न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांकः-64/अ-59/2017-18/ 5563 बैतूल दिनांक 4/5/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 14 तहसील आमला द्वारा तहसीलदार आमला के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम रमली में आयोजित ग्राम सभा में, मौजा रमली तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 265 रकबा 3.380 हेक्टेयर मद रास्ता में से 0.810 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त शासकीय रास्ता 330 फीट चौड़ा है, जिस पर वर्तमान में आवासीय प्रयोजन हेतु 13 मकान बने हुए है। पंचायत प्रस्ताव के अनुसार रास्ता चौड़ा होने से ग्रामीण उसे आने-जाने हेतु उपयोग कर शेष हिस्से को रहने हेतु उपयोग करते है।

2- हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार आमला द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा रमली तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 265 रकबा 3.380 हेक्टेयर मद रास्ता को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उदघोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 26-1-2018 को ग्राम रमली में आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक- 14 पारित किया जाकर मौजा रमली तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 265 रकबा 3.380 हेक्टेयर मद रास्ता की भूमि को आबादी घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा रमली तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 265 रकबा 3.380 हेक्टेयर भूमि रास्ता मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1971-72 में भी उक्त खसरा नंबर रास्ता मद में दर्ज है।

(4)- तहसीलदार आमला द्वारा, प्रतिवेदित किया गया है कि, ग्रामवासियो की सहमति से ग्राम रमली की आबादी भूमि से कमली की ओर जाने वाली शासकीय रास्ता जो 330 फीट चौड़ी है तथा जिस पर वर्तमान में आवासीय प्रयोजन हेतु 13 मकान बने हुये है, जो लगभग 10-15 वर्षो से यहाँ निवासरत् है। रास्ता चौड़ा होने से ग्रामीवासी उसे आने जाने में उपयोग कर शेष हिस्से को रहने हेतु उपयोग करते है। अतः ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुसार मौजा रमली स्थित खसरा नंबर 265 रकबा 3.380 हेक्टेयर भूमि मद रास्ता में से 0.810 हेक्टेयर को आबादी घोषित किया जाना उचित होगा। तहसीलदार आमला के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुलताई द्वारा प्रकरण इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाँए पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि मे से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर

बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तहसीलदार आमला/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा रमली स्थित खसरा नंबर 265 रकबा 3.380 हेक्टेयर भूमि मद रास्ता में से 0.810 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 64 /अ-59/2017-18/ 5563 बैतूल दिनांक 4 /5/2018

प्रतिलिपिः-

1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई की ओर सूचनार्थ।
2- तहसीलदार आमला की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
5- सचिव ग्राम पंचायत रमली जनपद पंचायत आमला की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला-बैतूल.